

UPPG010079562025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-१, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी-अजय कुमार-1, (एच०जे०एस०)  
जे०ओ० कोड-यू०पी० ६३९५

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-४०९२/२०२५**

१. अजय कुमार सिंह आयु ५८ वर्ष सुत गणेश प्रसाद सिंह निवासी ग्राम खेदिया थाना कुरसेला जिला कटिहार बिहार प्रान्त।
२. विनोद उरांव आयु ५३ वर्ष सुत राजेन्द्र उरांव निवासी ग्राम डुमरी खाल जनपद कटिहार बिहार प्रान्त।

..... आवेदकगण/अभियुक्तगण  
**बनाम**

राज्य उ०प्र०।

..... अभियोजन पक्ष

**मु०अ०सं०-४०८/२०२५**

**धारा-११५(२), ३५१(२), १०८, १२७(२)BNS**

**थाना-कोतवाली नगर, जिला-प्रतापगढ़।**

आवेदकगण/अभियुक्तगण अजय कुमार सिंह व विनोद उरांव की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का कथन किया गया तथा इस आशय का पृष्ठांकन कि "श्रीमान जी, इस प्रार्थना पत्र पर कोई आग्रह नहीं करना है" अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के मार्जिन पर अंकित किया गया।

सुना।

चूंकि आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बलाभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

### **आदेश**

आवेदकगण/अभियुक्तगण अजय कुमार सिंह व विनोद उरांव की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-४०९२/२०२५ बलाभाव में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक-०६.०३.२०२६**

स्टेनो-वेद

**(अजय कुमार-1)**

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-१, प्रतापगढ़।